पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/01

1. मंगला उर्फ मंगलराम पुत्र स्व0 उदा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
2. मोहनलाल पुत्र स्व0 उदा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।

——अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान)

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः— श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 08.09.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा में पुराने साबिक खसरा नम्बर 696/227 की 10 बीघा व खसरा नम्बर 1284/23 की 4 बीघा भूमि वादीगण के दादा मांग्या आत्मज सुक्खा जी को आवंटन हुई थी। उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर बाद प्रथम सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 262 कायम किये गये। आवंटी मांग्या जी का देहावसान हो गया ओर मांग्या जी का पुत्र वादीगण के पिता उदा जी काबिज काश्त हुये जिस पर उदा जी के नाम गैरखातेदारी में इंतकाल तस्दीक करने की रिपोर्ट हुई। किन्तु तहसील द्वारा जारी पटटा गैरखातेदारी दिनांक 06.12.1958 पर डिसपेच नम्बर न होने से इंतकाल नहीं खुल सका। द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि के नवीन ख0न0 404 की 1.71 हेक्टर कायम किये गये। चूंकि अलोटमेन्ट का अमल दरामद नहीं हुआ इस कारण उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गयी। नकल जमाबन्दी पेश है। उपरोक्त भूमि पर आवंटी मांग्या आत्मज सुक्खा जी अपने

<u>अपील संख्या 2025/01</u>

<u>मंगला बनाम सरकार</u>

जीवन काल तक काबिज रहे उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र उदा आत्मज मांग्या जी काबिज रहे तथा उदाजी की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि पर पिछले 70 वर्ष से काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा वादीगण व उनके पूर्वजों कडता लगान व तावान जमा करते आ रहे है। तथा उक्त भूमि पर मकान बना कर निवास कर रहे है। इस प्रकार उक्त भूमि के वादीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार हो गये है तथा खातेदार घोषित होने व उक्त भूमि सिवाय चक खाते से हटा कर अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण के दादा मांग्या जी की मृत्यु के समय उनके पुत्र उदा जी अनपढ होने से तत्समय इंतकाल नहीं खुला सके तथा वादीगण का भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी केवल भूमि कब्जे काश्त में चली आ रही थी। पुराने कागजात मिलने राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई ओर वादीगण ने प्रतिवादी से उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज करने को दिनांक 14.09.2022 को कहा तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी द्वारा आवंटन का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में कर गेरखातेदारी में दर्ज नही करने पर, प्रतिवादी द्वारा सिवाय चक खाते से हटा कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने व खातेदार दर्ज करने से इन्कार करने पर दिनांक 14.09.2022 को पैदा हुआ। प्रतिवादी भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादीगण ने वाद में प्रतिवादी राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम गलाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की पुराने खसरा नम्बर 232 के नये ख0नं0 404 की 1.71 हेक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादी के सिवाय चक खाते से खसरा नम्बर 404 की 1.71 हेक्टर कम कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी ग्राम गलाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की पुराने खसरा नम्बर 232 के नये ख0नं0 404 की 1.71 हेक्टर भूमि से वादीगण को बैदखल नहीं करे, कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रति निधि से करावे। प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

3. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2024 द्वारा वादी अपीलान्ट का वादपत्र खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 71/2022 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपनी अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का कथन किया।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

6. अपील में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी एकपक्षीय बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का एवं कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम गलाना स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 696/227 की 10 बीघा व खसरा नम्बर 1284/233 की 4 बीघा भूमि अपीलान्ट के दादा मांग्या आत्मज सुखा को आवंटन हुई तब से ही मांग्या जी व मांग्या जी के बाद उनके वारिसान आवंटित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रथम सेटलमेंट में आवंटन आराजी के नवीन खसरा नम्बर 262 कायम किये गये जो गैर खातेदारी में इंतकाल तस्दीक करने की रिपोर्ट हुई किन्तु तहसील द्वारा जारी पट्टा गैर खातेदारी दिनांक 06.12.1958 पर डिस्पेच नम्बर न होने से इंतकाल तस्दीक नहीं किया गया। हाल सेटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 404 रकबा 1.71 हेक्टर कायम किये गये जिस पर निरन्तर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी सरकारी दर्ज कर देने से अपीलान्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर देने के बाद भी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट का आराजी पर कब्जा व आवंटन आराजी के सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा इंकार नहीं किया है। यह साबित करने का दायित्व प्रतिवादी का था कि जब एक बार वादीगण के दादा को आराजी आवंटन कर दी गई तो उक्त आराजी आवंटन आदेश के आधार पर अपीलान्ट के दादा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं कर राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि का खामियाजा अपीलान्ट को भुगतना पड़ रहा है। उक्त सभी तथ्य अपीलान्ट द्वारा साबित करने के बाद भी दावा खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम किये बिना ही दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में

प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण की ओर से ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 404 रकबा 1.71 हैक्टेयर भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांटगण का कथन है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी उनकी आवंटनशुदा भूमि है जो वादीगण के दादा मांग्या आत्मज सुखा को आवंटित हुई है। अपने कथनों के समर्थन में वादीगण अपीलांटगण की ओर से तहसील लाडपुरा द्वारा जारी पट्टा भूमि गैर खातेदारी प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 696/227 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नम्बर 1284/231 रकबा 4 बीघा कुल 14 बीघा भूमि मांग्या वल्द सुक्खा को आवंटित किए जाने का अंकन है। उक्त पट्टा भूमि गैर खातेदारी पर दिनांक 06.12.1958 अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034 के अनुसार ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 263 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा भूमि सिवायचक चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 16 में उदा पुत्र मांग्या बलाई का नाम अंकित है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2016 से 2024 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 262 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व 263 मी. रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा गत खसरा नम्बर 231 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा से तथा हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 32 बीघा 9 बिस्वा गत खसरा नम्बर 227 से बने होना अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 के अनुसार खसरा नम्बर 262 रकबा 30 बीघा तथा खसरा नम्बर 263 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा भूमि चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 404 रकबा 1.71 हैक्टेयर भूमि गत खसरा नम्बर 262मि. व 263मि. से मिलकर बने होना अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 404 रकबा 1.71 हैक्टेयर भूमि किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के दादा मांग्या आत्मज सुक्खा की आवंटनशुदा भूमि है तथा उक्त आवंटनशुदा भूमि का दिनांक 06.12.1958 को मांग्या आत्मज सुक्खा के नाम पट्टा जारी हुआ है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त अराजी को लेकर वादीगण अपीलांटगण के हक अधिकारों के सम्बंध में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नगत अन्तर्निहित है अतः हस्तगत प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम किए जाने के पश्चात अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के हक अधिकारों का निर्धारण किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो प्रतिवादी सरकार से कोई जवाबदावा लिया गया और ना ही प्रकरण में कोई तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना तथा अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2024 पारित की है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई

का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी सरकार से जवाबदावा लेकर उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम करें। अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2025 को परीक्षण न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा